

नीलामीकर्ता/व्यक्तिगत के द्वारा मोहरबंध निविदाएँ “अनुपयोगी वस्तुओ/अपशिष्ट सामग्री”, जिस भी स्थिति में विक्रेता बेच रहा है, खरीदार मद को उसी स्थिति में स्वीकार कर रहा है, “जैसा है, जहाँ है” के आधार पर केन्द्र के परिसर में स्थित अनुपयोगी एवं अपशिष्ट सामग्रियों निराकरण और निपटान के लिए निम्न नियमों और शर्तों के अनुसार आमंत्रित हैं –

### नीलामी के लिए नियम एवं शर्तें

1. निविदा जमा कराने से पूर्व, निविदाकर्ता दिनांक 17-10-2024 तक किसी भी कार्यदिवस में अपराहन 2:00 से 3:00 बजे के बीच केन्द्र के परिसर में स्थित मद का मुआइना कर सकते और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के प्राधिकारी से स्पष्टीकरण (यदि कोई हो, तो) प्राप्त कर सकते हैं।
2. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. प्रस्ताव को निविदा के नियमों और शर्तों की प्रति के साथ विधिवत भरकर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर करके ही जमा करें अन्यथा निविदा को खारिज कर दिया जाएगा। निविदा फॉर्म में किसी प्रकार की अस्पष्टता (ओवर राइटिंग) की अनुमति नहीं है और ऐसी निविदा को खारिज कर दिया जाएगा। प्रस्तावित राशि को स्पष्ट रूप से नंबर साथ ही साथ शब्दों में अंकित करना अपेक्षित है।
4. पूर्णरूप से भरी हुई निविदा बोलियाँ मोहरबंध लिफाफे में अपराहन 03.30 बजे तक दिनांक 18-10-2024 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली में जमा होंगे और उसी दिन सांय 04.00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित रहना चाहेंगे निविदाएँ खोली जाएगी। तय तारीख ओर समय के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी तथा उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाएगा।
5. बयाने की राशि ₹10,000/- (सिर्फ दस हजार रूपये) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / भुगतान आदेश 'राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र' के नाम आहरित दिल्ली में देय के रूप में जमा किया जाना है और निविदा के साथ लगाना चाहिए, ऐसा न करने पर, निविदा को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। अस्वीकृत निविदाओं की बयाने की जमा राशि को निविदा खुलने की दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर वापस कर दिया जाएगा। केंद्र में जमा बयाने राशि के भुगतान पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
6. किसी या सभी निविदाओं को जो भी कारण हो बिना बताए पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार केंद्र के पास आरक्षित है।
7. उच्चतम बोली की स्वीकृति पर, निविदाकर्ता को 24 घंटों में पूरी राशि को जमा करना होगा और इस केंद्र द्वारा निर्गमित स्वीकृति पत्र की तारीख से 3 कार्यदिवसों में अपनी लागत और जोखिम पर मद को ले जाना होगा, ऐसा ना करने पर, मद की सुरक्षा के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा।
8. यदि चयनित निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र के निर्देश के अनुपालन के लिए मना करते हैं और 24 घंटों में पूरी राशि को जमा करने और ऑर्डर के प्लेसमेंट की तारीख से 3 दिनों के अंदर मद को ले जाने में असफल होते हैं, तो बिना किसी संदर्भ के तुरंत आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और बयाने की राशि को जब्त कर लिया जाएगा और किसी भी कीमत पर इस संबंध में कोई भी पत्राचार/ अनुरोध आदि का जवाब नहीं दिया जाएगा।
9. प्राप्त निविदाओं में उच्चतम बोली लगाने वालों को ही सामान उठाने की अनुमति दी जाएगी।

10. निविदा के संबंध में किसी भी तरह की सिफ़ारिश पूरी तरह निषिद्ध है जो निविदाएँ एजेंसियों के द्वारा जमा हुई है यदि वे किसी तरह की सिफ़ारिश का सहारा लेगी तो सिर्फ़ इसी आधार पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी ।
11. चयनित निविदाकर्ता और केंद्र के बीच किसी भी प्रकार के विवाद और भेदभाव के लिए महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के द्वारा नामांकित एकमात्र मध्यस्थ व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम और दोनों चयनित निविदाकर्ता और केंद्र के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान या किसी अन्य संवैधानिक संशोधन या इसके पुनः अधिनियमित होने पर और इसके तहत बनाए गए नियमों को इस नीलामी के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा ।
12. निविदा / बोली में भाग लेने वाली एजेंसी विशेष अनुरोध पर निविदा के परिणाम के बारे में जानकारी और अन्य संबंधित विवरण, यदि कोई हो, तो प्राप्त कर सकते हैं ।
13. क्रय की गयी सामग्री पर देय वस्तु एव सेवा कर (GST) का भुगतान भी क्रेता को नियमानुसार अतिरिक्त देना होगा।
14. माल की ढुलाई, श्रम शक्ति एवं वाहन का प्रबंध स्वयं क्रेता को करना होगा और साइट को पूर्ण तरह से साफ करना होगा अन्यथा बची हुई सामग्री को साफ कराने का कार्य एजेंसी की सुरक्षा धनराशि से केन्द्र द्वारा कराया जायेगा।
15. क्रेता द्वारा क्रय किये माल को उठाने, काटने, तोड़ने अथवा ले जाते समय यदि केंद्र की किसी भी प्रतिभूति की क्षति होती है तो उसकी आर्थिक भरपाई क्रेता को करनी होगी ।
16. सामग्री का उचित आरक्षित/निर्धारित मूल्य प्राप्त ना होने पर समिति द्वारा वांछित अथवा पूर्ण रूप से निविदा/बोली निरस्त की जा सकती है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
(मोहर के साथ)

संलग्नक-क

अनुपयोगी एवं अपशिष्ट सामग्री का विवरण

क्रमांक	सामग्री का विवरण	संख्या
01.	एल्युमिनियम एवं आयरन कट पीस इत्यादि जोकि कार्यशाला के बाहरी दरवाजे के पास पड़े हुए है।	01 लॉट
02.	पुरानी प्लास्टिक के टुकड़े जोकि कार्यशाला के बाहरी दरवाजे के पास पड़े हुए है।	01 लॉट
03.	वूडेन स्कैप जोकि कार्यशाला के बाहरी दरवाजे के पास पड़े हुए है।	01 लॉट
04.	टूटे-फूटे कौच के टुकड़े जोकि कार्यशाला के बाहरी दरवाजे के पास पड़े हुए है।	01 लॉट
05.	SS Railing जोकि कार्यशाला के बाहरी दरवाजे के पास पड़े हुए है।	01 लॉट
06.	पुराना गत्ता जोकि कार्यशाला के बाहरी दरवाजे के पास पड़े हुए है।	01 लॉट
07.	स्कैप कक्ष में पडी हुई लोहे एवं अन्य धातुओं की मिश्रित स्कैप सामग्री।	01 लॉट
08.	IAADB-23 से आई पुरानी छोटी अलमारी मिश्रित लकड़ी एवं इलेक्ट्रिक केबल आदि ।	01 लॉट
09.	Burnt mobile Oil	100 Ltrs.
10.	Old Chairs of Canteen Contractor	01 लॉट

पेशकश प्रारूप  
(OFFER FORM)

सेवा में,

राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र,  
(राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई)  
प्रगति मैदान गेट न. 4 के समीप,  
भैरों मार्ग, नई दिल्ली -110 001

महोदय,

मैंने/ हमने “अनुपयोगी वस्तुओ / अपशिष्ट सामग्री” जिस भी स्थिति में विक्रेता बेच रहा है, खरीदार मद को उसी स्थिति में स्वीकार कर रहा है, “जैसा है, जहाँ है” के आधार पर नीलामी के लिए निविदा संख्या 17/2024-25 को पढ़ा, समझा और इसके सभी नियमों और शर्तों के साथ स्वीकार किया है।

मैंने ब्याने की राशि ₹ 10,000/- जमा कर दी है।

डिमांड ड्राफ्ट/ अदायगी आदेश संख्या \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ को \_\_\_\_\_ के नाम  
आहरित है।

मैं/ हम एतद द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित निविदा के लिए मेरी / हमारी दरों की पेशकश नीचे दिए गए अनुसार है :

विवरण	पेशकश राशि
“अनुपयोगी वस्तुओ/अपशिष्ट सामग्री ”(लॉट संख्या 01 से 10 तक)	
वस्तु एवं सेवा कर (GST) @ 18% अतिरिक्त	
कुल	
(शब्दों में केवल ₹ _____ )	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
(मोहर के साथ)

नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

फोन नं \_\_\_\_\_

ईमेल : \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_